. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नन्दलाल व्यास बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 159 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नन्दलाल व्यास, आर.टी.आई कार्यकर्ता पता बसन्त विहार, तीसरी ए रोड़, सरदारपुरा जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.10.2018 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील के गठन से लेकर वर्ष 1970 तक जोधपुर तहसील में तहसीलदार पद पर कौन कौन एवं कब से कब तक कार्यरत रहे अन्य 2 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	